औषधि योजना

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

कमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2021–22/ 5494 दिनांक :– 15/9/2021

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing Row from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (raj) Proposal No.FP/RJ/OFC/51041/2020

संदर्भः– आपका ईडीएस दिनांक 13.08.2021 के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित ईडीएस से आलौच्य प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों के कम में **बिन्दु संख्या 1 एवं 3** की पूर्ति उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा ने अपने पत्रांक /प( ) 14 / एफसी / ओएफसी/उवस/2021/9517–20 दिनांक 06.09.2021(प्रति संलग्न) से की जाकर प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्रेषित किया है एवं साथ ही **बिन्दु संख्या – 2** के कम में आपके निर्देशानुसार उल्लंघन किये गये वनक्षेत्र का मौका निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 08.06.2021 को किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

अतः उप वन संरक्षक, बॉसवाडा से प्राप्त प्रत्युत्तर एवं साथ ही आपके निर्देशानुसार उल्लंघन किये गये वनक्षेत्र का मौका निरीक्षण टिप्पणी ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी इस कार्यालय की सहमती के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कमांक पत्रा ( )वसु/मुवसं/2020–21/ दिनांक :–

प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 9517–20 दिनांक 06.09.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

–sd–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

दिनांक :- 6-9-2021

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 9517-20

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

5757
13/9/21

विषय :– Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

सन्दर्भ :– EDS Dated 25-08-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित किया गया था। जिसके कम में प्रस्ताव के पार्ट–।।। की पूर्ति कर प्रस्ताव आपके पत्रांक 795 दिनांक 05.02.2021 द्वारा अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को अग्रेषित किया गया था।

प्रकरण में दिनांक 09.03.2021 द्वारा जारी EDS मे रिपोर्ट श्रीमान् को इस कार्यालय के पत्रांक 6124–27 दिनांक 15.07.2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में पुनः प्राप्त EDS Dated 28-03-2021 अनुसार वांछित आक्षेपो की पालना रिपार्ट निम्नानुसार है –

1- What actions are taken against the accused in the matter? Please provide the details . Action taken against accused officers and other should be given

<u>प्रत्युत्तर</u>–

A. उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबधी कार्य कि जानकारी प्राप्त होते ही विभागीय स्टॉफ द्वारा तुरन्त मौके पर पहुचने पर पोकलेन मशीन के चालक श्री अमृतलाल पुत्र श्री कलजी जाती डामोर, निवासी ग्राम भरतगढ, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा द्वारा वन भूमि में बिना अनुमति के ट्रेंच खूदाई का कार्य करते हुए पाये जाने पर तत्काल कार्य को रूकवा दिया एवं मौके से पोकलेन मशीन व ट्रोले जब्त किये जाकर मौके पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए उक्त चालक के विरूद्व राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 में नियमानुसार वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। दर्ज किये प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 से श्रीमान् को प्रस्तुत किये गये है। तदनुसार प्रकरण में मुल्जिम से दण्डात्मक राशि रू. 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) वसूल की जाकर प्रकरण को अपशमन किया गया है।

B. उक्त प्रकरण में FCA 1980 के उल्लघन हेतु दोषी विभागीय स्टॉफ के विरूद्व की गयी कार्यवाही के संबध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक 6791 दिनांक 9.11.2020 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ को निर्देशित किया गया था, जिसके कम मे उनके पत्रांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि उपरोक्तानुसार पोकलेन मशीन के चालक द्वारा वन भूमि मे ओएफसी बिछाने हेतु मशीनों द्वारा खुदाई का कार्य दिनांक 21.09.2020 की रात्री में चोरी–छुपे करवाया गया है, जिसकी जानकारी स्टॉफ को प्राप्त होते ही दिनांक 22.09.2020 को स्टॉफ द्वारा मौके पर पहुंच कर कार्य को तत्काल रूकवा दिया गया एवं कार्य में प्रयुक्त की गयी मशीनों को जब्त कर लिया गया।

FCA
L
9.9.21

D:\FCA\Mayank\O F C\OFC ONLINE CASES\TELESONIC NETWORKS LIMITED Ratlam - Bamnia Road\Telesonic Ratlam - Bamnia.docx

तदनुसार इस प्रकरण में FCA 1980 के उल्लंघन के लिए विभागीय स्टॉफ कि कोई भी साठ–गांठ व लापरवाही नहीं होने से विभागीय स्टॉफ के विरूद्व कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

2- **CCF has to upload the site inspection report.**
प्रत्युत्तर – उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उल्लंघन किये गये वन क्षेत्र का मौका निरीक्षण श्रीमान् द्वारा दिनांक 08.06.2021 को किया गया है। जिसके संबध में वांछित मौका निरीक्षण रिपार्ट श्रीमान् के स्तर से प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

3- **Detail report of violation needs to be provided.**
प्रत्युत्तर– प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबध में विस्तृत विवरण इस कार्यालय के पत्र कमांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी छांयाप्रति अवलोकनार्थ पुनः संलग्न प्रस्तुत है।

DFA approved
6.9.21

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाडा

दिनांक :– 6-9-2021

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 9517-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एव नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी,कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. 3rd Floor, Metro Tower, Squire Scheme no. 54, Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,
बांसवाडा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

क्रमांक /प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 612-16 दिनांक :— 20.01.2021

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :— Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

330
28/1/21

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली–भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कि कार्यवाही से बचने कि मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि मे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी–छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97–21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छाया–प्रतियां संलग्न है)।

यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 1482.21 रनिंग मीटर की लंबाई में OFC बिछाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में उल्लंघन संबंधी कार्य करवाया जा चुका है एवं 282.21 रनिंग मीटर की लंबाई में कार्य करवाया जाना अब भी शेष है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2021 को मौका निरीक्षण कर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किया गया है तदनुसार उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमशः 2 पर

21/1/21

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	क्र. नं.	राजस्व ग्राम	प्रभावित खसरा नंबर	कार्य निष्पादीत करवाए जाने की दिनांक एवं समय	वांछित कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि का क्षेत्रफल (है.में)	उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का क्षेत्रफल (है.में)
1	कदवाली पोटलिया	2	पोटलिया, हल्दुपाड़ा, पाटन	125/2, 132, 182, 548/125	दिनांक 21.09.2020 कि रात्रि में।	0.0667	0.0540

मौका निरीक्षण करने पर यह भी पाया गया है कि यूजर एजेंसी के द्वारा बिना सक्षम अनुमति के 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में बिछा दी गई OFC को क्षेत्रिय के द्वारा निर्देशित करने के बाद भी वन भूमि से नहीं हटाया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से आवश्यक समस्त औपचारिकताएें पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक /प ( ) 14/F.C.A./OFC/उवसं/2021/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा